



न्यायालय **Sp. Judge (E.C.Act) Court No. 4, Unnao.**

पीठासीन अधिकारी- श्री रामराज-II, (उच्चतर न्यायिक सेवा) - **UP06491**

Spl Trial Ec act-1957/2024

राज्य-----अभियोजक

बनाम

अमित कुमार पुत्र ओम प्रकाश,

निवासी अकोहरी चौराहा थाना मौरावां जनपद उन्नाव।

..... अभियुक्त

मु0अ0सं0-48/2021,

धारा-135 भारतीय विद्युत अधिनियम

थाना-एन्टी पावर थेफ्ट,

जिला-उन्नाव।

निर्णय

1. अभियुक्त अमित कुमार के विरुद्ध प्रस्तुत विशेष सत्र परीक्षण सं0-1957/2024 अ0सं0-48/2021, अन्तर्गत धारा-135 भारतीय विद्युत अधिनियम, थाना-एन्टी पावर थेफ्ट, जनपद-उन्नाव में विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर परीक्षण योजित किया गया।

2. अभियोजन पक्ष का कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 08.01.2021 को प्रभारी मोहम्मद कमर खान मय मु0आरक्षी मो0 जहीर खान, मु0 आरक्षी राज बहादुर सिंह, मु0 आरक्षी सत्य प्रकाश सिंह, आरक्षी गोविन्द वर्मा, आरक्षी वेद प्रकाश सिंह, प्रवर्तन दल उन्नाव अनुबन्धित वाहन व चालक मय स्थानीय उपखण्ड अधिकारी रजनीश कुमार मिश्रा, उपखण्ड अधिकारी कुंवर प्रशान्त सिंह, अवर अभियन्ता शशिमणि कश्यप विद्युत उपकेन्द्र मौरावां, टी0जी0-2 अभिषेक अहिरवाल विद्युत उपकेन्द्र मौरावां जनपद उन्नाव के द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार विद्युत चोरी रोकथाम एवं राजस्व वृद्धि हेतु निवासी अकोहरी चौराहा थाना मौरावां जनपद उन्नाव में अभियुक्त के वाणिज्यिक परिसर (तुलसी सेठ स्वीट एण्ड नमकीन) का समय करीब 16.55 बजे आकस्मिक विद्युत चेकिंग की गयी तो अभियुक्त द्वारा अपने वाणिज्यिक परिसर घरेलू संयोजन से स्थापित मीटर की इनकमिंग केबिल को मीटर से पहले विच्छेदित कर एक अतिरिक्त केबिल जोड़ कर मीटर बाईपास कर लगभग 01 किलोवाट विद्युत का वाणिज्यिक विधा में विद्युत का चोरी से उपभोग करते पाया गया।

3. वादी की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाना-एन्टी पावर थेफ्ट, जिला-उन्नाव में अभियुक्त अमित कुमार के विरुद्ध दिनांक 10.01.2021 को समय 14.14 बजे मु0अ0सं0-48/2021, अन्तर्गत धारा 135 भारतीय विद्युत अधिनियम में पंजीकृत किया गया।

4. प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा वादी मुकदमा व अन्य गवाहान के बयान अंकित किये गये तथा सम्पूर्ण विवेचनोपरान्त अभियुक्त अमित कुमार के विरुद्ध प्रथम दृष्टया सामग्री पाते हुए आरोप पत्र अन्तर्गत धारा-135 भारतीय विद्युत अधिनियम आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर विशेष न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।
5. अभियुक्त अमित कुमार को आहूत किया गया। उन्हें नकले दी गयी। अभियुक्त द्वारा जमानत कराया गया।
6. अभियुक्त अमित कुमार के विरुद्ध धारा-135 भारतीय विद्युत अधिनियम में आरोप दिनांक 23.06.2026 को न्यायालय द्वारा विरचित किया गया, आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।
7. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध विरचित आरोप को साबित किये जाने हेतु मौखिक साक्ष्य के रूप में पी0डब्लू0-1 सन्तोष कुमार गौतम, कार्यालय सहायक वि0वि0 खण्ड तृतीय पुरवा उन्नाव को परीक्षित कराया गया है।
8. अभियोजन द्वारा शमन शुल्क मु0-5,000/-रु0 को प्रदर्श क-1, ओ0टी0एस0 पंजीकरण मु0-2,579/-रु0 को प्रदर्श क-2 व अन्तिम निर्धारण मु0-12,897/-रु0 को प्रदर्श क-3 एवं अदेयता प्रमाण पत्र को प्रदर्श क-4 के रूप में साबित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य अवसर समाप्त किया गया।
9. अभियुक्त अमित कुमार का बयान अन्तर्गत धारा-313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने मुकदमा गलत चलना बताया व सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया है।
10. मैने विद्वान विशेष शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया।
11. अभियुक्त अमित कुमार के विरुद्ध यह आरोप है कि दिनांक 08.01.2021 को प्रभारी मोहम्मद कमर खान मय मु0आरक्षी मो0 जहीर खान, मु0 आरक्षी राज बहादुर सिंह, मु0 आरक्षी सत्य प्रकाश सिंह, आरक्षी गोविन्द वर्मा, आरक्षी वेद प्रकाश सिंह, प्रवर्तन दल उन्नाव अनुबन्धित वाहन व चालक मय स्थानीय उपखण्ड अधिकारी रजनीश कुमार मिश्रा, उपखण्ड अधिकारी कुंवर प्रशान्त सिंह, अवर अभियन्ता शशिमणि कश्यप विद्युत उपकेन्द्र मौरावां, टी0जी0-2 अभिषेक अहिरवाल विद्युत उपकेन्द्र मौरावां जनपद उन्नाव के द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार विद्युत चोरी रोकथाम एवं राजस्व वृद्धि हेतु निवासी अकोहरी चौराहा थाना मौरावां जनपद उन्नाव में अभियुक्त के वाणिज्यिक परिसर (तुलसी सेठ स्वीट एण्ड नमकीन) का समय करीब 16.55 बजे आकस्मिक विद्युत चेकिंग की गयी तो अभियुक्त द्वारा अपने वाणिज्यिक परिसर घरेलू संयोजन से स्थापित मीटर की इनकमिंग केबिल को मीटर से पहले विच्छेदित कर एक अतिरिक्त केबिल जोड़

कर मीटर बाईपास कर लगभग 01 किलोवाट विद्युत का वाणिज्यिक विधा में विद्युत का चोरी से उपभोग करते पाया गया।

12. प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त अमित कुमार के विरुद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है?

13. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त अमित कुमार के विरुद्ध आरोपित आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने हेतु पी0डब्लू0-1 सन्तोष कुमार गौतम, कार्यालय सहायक विद्युत वितरण खण्ड तृतीय पुरवा उन्नाव को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपने साक्ष्य में अभियुक्त उपरोक्त द्वारा शमन शुल्क मु0-5,000/-रु0 को प्रदर्श क-1, ओ0टी0एस0 पंजीकरण मु0-2,579/-रु0 को प्रदर्श क-2 व अन्तिम निर्धारण मु0-12,897/-रु0 को प्रदर्श क-3 एवं अदेयता प्रमाण पत्र को प्रदर्श क-4 जमा कर दिया गया है। उक्त साक्षी ने शमन शुल्क, ओ0टी0एस0 पंजीकरण व अन्तिम निर्धारण की प्रमाणित प्रतिलिपि को क्रमशः प्रदर्श क-1, प्रदर्श क-2, प्रदर्श क-3 व अदेयता प्रमाण पत्र को प्रदर्श क-4 के रूप में विधितः साबित किया है।

14. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त अमित कुमार द्वारा विद्युत बिल जमा कर दिया गया है और कोई अदायगी शेष नहीं है। अतः अभियुक्त उपरोक्त को धारा-152 भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत लाभ देते हुए दोषमुक्त की याचना की गयी है।

15. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0-1 सन्तोष कुमार गौतम कार्यालय सहायक विद्युत वितरण खण्ड तृतीय उन्नाव द्वारा यह स्वीकारोक्ति की गयी है कि अभियुक्त उपरोक्त द्वारा शमन शुल्क मु0-5,000/-रु0 को प्रदर्श क-1, ओ0टी0एस0 पंजीकरण मु0-2,579/-रु0 को प्रदर्श क-2 व अन्तिम निर्धारण मु0-12,897/-रु0 को प्रदर्श क-3 एवं अदेयता प्रमाण पत्र को प्रदर्श क-4 जमा कर दिया गया है, जिनकी प्रतियां पत्रावली में दाखिल है। उक्त साक्षी ने शमन शुल्क, ओ0टी0एस0 पंजीकरण व अन्तिम निर्धारण की प्रमाणित प्रतिलिपि को विधितः साबित किया है तथा मुकदमा समाप्त करने में कोई आपत्ति न करने का कथन किया है।

16. धारा-152 उप धारा-3 भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत यह उपबन्ध है कि उप धारा-1 के अन्तर्गत शमनीय अपराधों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा शमन धनराशि प्राप्ति का तात्पर्य दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत दोषमुक्ति के रूप में होगा।

17. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर यह प्रकट है कि उपभोक्ता/अभियुक्त अमित कुमार द्वारा शमन शुल्क मु0-5,000/-रु0 को प्रदर्श क-1, ओ0टी0एस0 पंजीकरण मु0-2,579/-रु0 को प्रदर्श क-2 व अन्तिम निर्धारण मु0-12,897/-रु0 को प्रदर्श क-3 एवं अदेयता

प्रमाण पत्र को प्रदर्श क-4 जमा कर दिया गया है, जिनकी कम्प्यूटर राईज प्रतियां पत्रावली में दाखिल है और अभियुक्त पर विद्युत विभाग की कोई देय धनराशि शेष नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य से यह प्रकट है कि अभियुक्त उपरोक्त द्वारा कथित घटना/विद्युत चोरी करते पकड़े जाने पर दौरान मुकदमा उक्त अपराध के सम्बन्ध में विद्युत विभाग द्वारा निर्धारित शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण एवं बकाया बिल की धनराशि की पूर्ण अदायगी विद्युत विभाग में की जा चुकी है और विद्युत विभाग का कोई देय अभियुक्त पर शेष नहीं है और उसका अपराध उसके द्वारा उक्त देय अदा करने पर विभाग द्वारा शमन किया जा चुका है तथा यह उसका प्रथम अपराध है। इन परिस्थितियों में धारा-152(1) भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त के द्वारा विद्युत चोरी के सम्बन्ध में राज्य सरकार की तरफ से निमित्त प्राधिकारी द्वारा उक्त अपराध के शमन, द्वारा धनराशि को स्वीकार कर लिया गया है, जैसा कि इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट है, ऐसे में अभियुक्त के विरुद्ध अब कोई कार्यवाही न्यायालय में विद्युत अधिनियम की धारा-152(2) के अन्तर्गत जारी नहीं रखी जा सकती तथा धारा-152(3) भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत यह दोषमुक्ति मानी जायेगी।

18. उपरोक्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के विश्लेषण से न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि उक्त धाराओं का लाभ पाते हुए अभियुक्त अमित कुमार धारा-135 भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत विरचित आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

1. अभियुक्त अमित कुमार को मु0अ0सं0-48/2021, थाना-एन्टी पावर थेफ्ट, जनपद-उन्नाव अन्तर्गत धारा-135 भारतीय विद्युत अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। उसके जमानतनामों व बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं एवं जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

2. अभियुक्त उपरोक्त को धारा 437ए दं0प्र0सं0 के अनुपालन में 20,000/-रुपये की एक प्रतिभू व समान धनराशि का निजी बन्धपत्र अपील की दशा में अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु एक सप्ताह के अन्दर दाखिल करने हेतु आदेशित किया जाता है।

दिनांक-15.07.2026

(रामराज-II)
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट)
कोर्ट सं0-4, उन्नाव।

यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके आज सुनाया गया।

दिनांक-15.07.2026

(रामराज-II)
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट)
कोर्ट सं0-4, उन्नाव।

